नीयतों को एकत्रित करने का मुद्दा

[हिन्दी – Hindi – هندي]

एहसान बिन मुहम्मद बिन आइश अल-उतैबी

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2013 - 1434

IslamHouse.com

مسألة جمع النيات

« باللغة الهندية »

إحسان بن محمد بن عايش العتيبي

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2013 - 1434

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

नीयतों को एकत्रित करने का मुद्दा जिसके बारे में विशेषकर शव्वाल के महीने में अधिक प्रश्न किया जाता है

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है, तथा अल्लाह के पैगंबर पर दया व शांति अवतरित हो।

यक एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में अधिकतर प्रश्न किया जाता है, –कुछ प्रतिष्ठत जनों के आहवान पर– मैं ने इसके लिए एक लेख विशिष्ट करना चाहा, शायद कि इसके अंदर लाभ हो।

और यह मुद्दा ''एक ही कार्य में नीयतों को एकत्रित करना'' है।

मैं कहता हूँ :

1. सर्व प्रथम हमारे लिए उन कामों को जानना ज़रूरी है जो अपने तौर पर स्थायी हैं और उनकी अलग फज़ीलत

(प्रतिष्ठा) है, और दूसरे वे काम जो सर्वसामान्य हैं जो इस तरह नहीं हैं।

2. उदाहरण के तौर पर : चाश्त की नमाज़ और तहिय्यतुल मस्जिद की नमाज़ :

जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों में मननचिंतन करते हैं : तो हम पाते हैं कि चाश्त की नमाज़ का एक स्थायी हुक्म और एक विशिष्ट फज़ीलत (प्रतिष्ठा) है, तो इस तरह वह अपने तौर पर एक स्थायी कार्य है।

जबकि तहिय्यतुल मस्जिद की नमाज़ : ऐसी नहीं है, चुनाँचे जो व्यक्ति मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने कोई पूर्व फर्ज़ नमाज़ या फज्र की सुन्नत, या इस्तिखारा की नमाज़ पढ़ी, या उसने जमाअत खड़ी हुई पाई तो उनके साथ नमाज़ पढ़ी : तो उसने अपने ऊपर अनिवार्य चीज़ की अदायगी कर ली और निषिद्ध चीज़ में नहीं पड़ा, और उसके ऊपर तहिय्यतुल मस्जिद की नमाज़ की क़ज़ा करना अनिवार्य नहीं है।

यहाँ पर मुद्दा यह है कि : शरीअत ने मस्जिद में प्रवेश करने वाले को बैठने से मना किया है मगर इसके बाद कि वह नमाज़ पढ़ ले, और उसे किसी निर्धारित नमाज़ का आदेश नहीं दिया

है! अतः उसने जो भी नमाज़ पढ़ ली वह निषेद्ध से बाहर निकल गया और आदेश का पालन किया।

चुनाँचे जो व्यक्ति मस्जिद में प्रवेश किया और केवल तहिय्यतुल मस्जिद की नीयत से नमाज़ पढ़ी तो वह नमाज़ – उदाहरण के तौर पर – ज़ुहर की सुन्नत की तरफ से पर्याप्त नहीं होगी। जबकि अगर उसने मस्जिद में प्रवेश किया और ज़ुहर की सुन्नत की नीयत से नमाज़ पढ़ी, तो वह नमाज़ पढ़ने से पहले बैठने के निषेद्ध में नहीं पड़ा, और उसके ऊपर तहिय्यतुल मस्जिद की क़ज़ा अनिवार्य नहीं है!

यह पहली परिस्थिति के विपरीत है : क्योंकि यदि उसने तहियतुल मस्जिद की नीयत से नमाज़ पढ़ी, फिर ज़ुहर की नमाज़ खड़ी कर दी गई तो फर्ज़ पढ़ने के बादे वह (ज़ुहर की) सुन्नत नमाज़ की क़ज़ा करेगा!

3. अगर इन्सान इस तथ्य को जान ले कि कौन सा कार्य ''तहिययतुल मस्जिद'' के समान है और कौन सा कार्य ''चाश्त की नमाज़'' के समान है : तो उसके लिए इस मुद्दे की समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

4. तहिय्यतुल मस्जिद की नमाज़ के समान कामों में से :

- **उस व्यक्ति के लिए जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने का हुक्म जो नमाज़ पढ़ चुका है।**

  और इस बारे में ''सुनन'' की प्रसिद्ध हदीस है, जिसमें वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस व्यक्ति का खण्डन किया जो उनके साथ फज्र की नमाज़ में दाखिल हुआ और उसने इस तर्क के आधार पर नमाज़ नहीं पढ़ी कि वह अपने डेरे में नमाज़ पढ़ चुका था।

  तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन दोनों को जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया और उन्हें बतलाया कि यह नमाज़ उनके लिए नफल हो जाएगी।

  उद्देश्य : यह है कि यह दाखिल होने वाला अगर किसी भी नीयत से नमाज़ पढ़ ले तो यह उसके लिए काफी है, क्योंकि उद्देश्य यह नहीं है कि वह जमाअत की नमाज़ पढ़े, बल्कि उद्देश्य यह है कि वह मस्जिद में न बैठे जबकि लोग नमाज़ पढ़ रहे हों।

इस आधार पर : यदि यह प्रवेश करने वाला दो रकअतें पाए, फिर इमाम सलाम फेर दे : तो वह इमाम के साथ सलाम फेर सकता है!

और यदि वह – उदाहरण के तौर पर इशा की नमाज़ में –एक रकअत या तीन रकअत पाए : तो वह इमाम के साथ –वित्र की नमाज़ की नीयत से– सलाम फेर सकता है।

- **सोमवार और जुमेरात के रोज़े :**

और यह इसलिए कि – उदाहरण के तौर पर अरफा या आशूरा के रोज़ों के समान – इन दोनों दिनों के रोज़ों की कोई विशेष फज़ीलत नहीं है, बल्कि उद्देश्य यह है कि : प्रति सोमवार और जुमेरात को कार्य अल्लाह की ओर उठाए जाते हैं, अतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस बात को पसंद करते थे कि आपका अमल इस हाल में उठाया जाए कि आप रोज़ेदार हों !

अगर आदमी (उन दोनों दिनों में) क़ज़ा, या नज़्र, या कफफारा, या शव्वाल का, या अय्यामे बीज़ (हिज्री महीने की 13, 14, और 15 तारीख) का रोज़ा रखे हुए हो : तो इन

सब पर हदीस का अर्थ ठीक बैठता है, अतः उसका अमल इस हालत में उठाया जाएगा कि वह रोज़ेदार होगा!

इसीलिए : हम ''शव्वाल के छः रोज़े'' रखने वाले के लिए इस बात को मुसतहब समझते हैं कि वह सोमवार और जुमेरात के दिनों को चुने।

और यहाँ पर हम नीयत को एकत्रित करने की बात नहीं कहते हैं ! इसलिए कि सोमवार और जुमेरात के रोज़े अपने तौर पर स्थायी नहीं हैं, बल्कि यहाँ नीयत को एकत्रित करने का मुद्दा ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि एक सामान्य नीयत को एक सीमित और विशिष्ट नीयत के साथ कैसे एकत्रित किया जा सकता है ?

5. **सबसे सही बात यह है कि** : मुसलमान के लिए दो ऐसी इबादतों एकत्रित करना जायज़ नहीं है जिनमें से हर एक की एक विशिष्ट फज़ीलत, या एक विशेष स्थायी आदेश है। चुनाँचे उदाहरण के तौर पर : रमज़ान की क़ज़ा और नज़्र को एकत्रित नहीं किया जायेगा।

इसी तरह रमज़ान की क़ज़ा और शव्वाल के छः रोज़ों की नीयत को एकत्रित नहीं किया जायेगा, क्योंकि हदीस का

अभिप्राय यह है कि इन्सान छत्तीस (36) दिनों – या एक महीना, छः दिन – का रोज़ा रखे, अगर उसने दोनों नीयतों को एकत्रित कर दिया तो उसने केवल एक महीने का रोज़ा रखा !

और यह हदीस के आशय के विरूद्ध और विपरीत है और वह एक महीने, छः दिन का रोज़ा रखना है। तथा हदीस की किताबों में ऐसी दलील वर्णित है जो इस बात को स्पष्ट करती है कि हदीस का अभिप्राय और उद्देश्य यही है। इब्ने माजा ने सहीह सनद के साथ रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''जिसने ईदुल फित्र के बाद छः दिन रोज़े रखे तो यह पूरे साल के रोज़े की तरह है, जो व्यक्ति नेकी करे उसके लिए उसके दस गुना सवाब है।''

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।

लेखक

एहसान बिन मुहम्मद बिन आइश अल–उतैबी